राजेश कुमार वगैरह बनाम राज. सरकार
मुकदमा नम्बर 0138/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. राजेश कुमार पुत्र भंवरलाल
2. रामेश्वरलाल पुत्र भंवरलाल
3. छोटीदेवी पत्नि भंवरलाल
4. राधा पुत्री भंवरलाल
5. रूकमा पुत्री भंवरलाल

जातियान जाट निवासी ग्राम केरपुरा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

प्रार्थना पत्र बाबत :– रिकॉर्ड दुरूस्ती करने
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित :– भैरूराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर :– 0138/2023 दिनांक :– 16.10.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम केरपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 2.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 76 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री भंवरलाल पुत्र मल्लाराम की खातेदारी दर्ज चली आ रही है तथा पिता भंवरलाल पुत्र मल्लाराम का स्वर्गवास दिनांक 21.03.2023 का हो गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का जरिये उत्ताधिकारी वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का खातेदारी में नाम भंवरलाल पुत्र मल्लाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र मल्लाराम है। प्रार्थीगण के पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार आदि में भंवरलाल पुत्र मल्लाराम नाम दर्ज है जिसके कारण प्रार्थीगण के पिता का फौतगी नामांतकरण नहीं हो पा रहा है। प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मल्लाराम देह खातेदार नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण का नाम नामांतकरण में दर्ज हो सके इसलिए यह रिकॉर्ड शुद्धि किया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम केरपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 2.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 76 रकबा [illegible] में प्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता भंवरलाल पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मल्लाराम के नाम की दुरूस्ती की शुद्धि किया जाने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने सबूत में ग्राम पंचायत भांवता का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

पहचान पत्र की प्रतियां पेश की तथा राजस्व ग्राम केरपुरा के खाता संख्या 65, 168, 96, 63, 6, 61 के जमाबंदियां की प्रतियां पेश की।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार राजस्व ग्राम केरपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 2.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 76 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र मालाराम दर्ज है तथा अन्य जमाबंदी खाता संख्या 96, 63, 6, 61 में प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरलाल/भंवराराम पुत्र मल्लाराम दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम उनके दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र मल्लाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व ग्राम केरपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 2.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 76 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मल्लाराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम केरपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 2.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 76 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र मल्लाराम दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2023 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:09 IST
Reason: SelfAttested